

सचिव आपदा प्रबन्धन एवं कार्यक्रम निदेशक, यूडी0आर0पी0-ए0एफ0, देहरादून के पत्र PMU/UDRP-AF/2022/510 दिनांक 09.01.2023 एवं अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड UDRP-AF, नई टिहरी के पत्रांक 122/1सी(AF) दिनांक 09.07.2020 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में विश्व बैंक पोषित परियोजना यूडीआर.पी.-ए.एफ. के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला में सुसवा नदी पर दो सेतुओं के निर्माण हेतु उप जिलाधिकारी डोईवाला की आख्या दिनांकित 01.03.2023 एवं 15.09.2020 के आधार पर ग्राम मारखमग्रान्ट द्वितीय के खाता संख्या 1122 के खसरा नं0 2376मि0 रकबा 0.7860है, 1039मि0 रकबा 0.0220है0 श्रेणी 6-1 जल मान भूमि व खाता संख्या 1124 के खसरा नं0 3162 रकबा 0.0780है0 श्रेणी 6-2 कुल रकबा 0.8860है0 भूमि झबराववाला से खैरी मोटर मार्ग में सुसवा नदी के ऊपर डबल लेन 200 मीटर मोटर सेतु एवं ग्राम मारखमग्रान्ट द्वितीय के खाता सं0 1122 के खसरा नं0 2376मि0 रकबा 0.7340है0 श्रेणी श्रेणी 6-1 जल मान भूमि बुल्लावाला सत्तीवाला मोटर मार्ग में सुसवा नदी के ऊपर डबल लेन 150 मीटर मोटर सेतु के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-496/XVIII(II)/2020-08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020, शासनादेश संख्या-111/XXVII(7)/50(39)-2015/2014 दिनांक 09 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या-1887/XVIII (II)/2015-18(169) /2015 दिनांक 30 जुलाई 2015 एवं शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 की शर्तों एवं प्राविधानों के तहत एवं उल्लिखित शासनादेशों में दी गई व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है:-

- 1- भूमि का हस्तांतरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो, तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तांतरण किया जाये जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो।
- 3- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए।
- 4- यदि भूमि वन विभाग की रक्षित भूमि हो, तो वह हस्तांतरण के बाद भी रक्षित वन भूमि बनी रहेगी। रक्षित वन भूमि के हस्तांतरण से सम्बन्धित ग्राम वासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तांतरित भूमि के उपयोग करने में साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं करायी जायेगी।
- 5- वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तांतरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा, लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्त कर्ता विभाग द्वारा वन विभाग की उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना होगा।
- 6- हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है तो याचक विभाग द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा।

- 7- यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 8- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि पुल निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापत्ति¹ लिखित रूप से प्राप्त कर ली जाये।
उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या: 876/12ए- 156 (2020-2023)डी.एल.आर.सी. दिनांक ०३ मार्च, 2023

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3- सचिव आपदा प्रबन्धन एवं कार्यक्रम निदेशक यू.डी.आर.पी.-ए.एफ. देहरादून।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड UDRP-AF, नई टिहरी।
- 7- उप जिलाधिकारी, डोइवाला, जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा याचक विभाग को हस्तगत करते हुए अमल दरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

